

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी
मिसल नं.

...
...

बंशीधर योगी, R.T.S.
01/2020

सरकार

बनाम

बलबीर पुत्र बस्तीराम, जाति-स्वामी,
निवासी-झेरली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 20.05.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बलबीर पुत्र बस्तीराम, जाति-स्वामी, निवासी-झेरली की ग्राम झेरली की मन्दिर मूर्ति की भूमि ख.नं. 506 रकबा 0.39 है 0 किस्म मन्दिर श्री हनुमानजी में से 0.014 है 0 पर पक्का निर्माण कार्य बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि वह उक्त भूमि पर पूर्वजों के समय से काफी वर्षों से काबिज है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। अतः गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। चूंकि भूमि की किस्म मन्दिर श्रीहनुमानजी है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज-6/2007/पार्ट-5 जयपुर, दिनांक 12.09.2018 के द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि "मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण की रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे।" अतः उक्त परिपत्र के अनुसरण में प्रश्नगत मंदिर मूर्ति की भूमि पर भी राजकीय भूमि की तरह राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के प्रावधान लागू होंगे। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.05.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं० 06 पर
वर्ष 20.20.21 में रूपये 51 कायम किए
राजस्व लेखाकार

Bn

(बंशीधर योगी)
तहसीलदार, सूरजगढ़